

उपरोक्तान जायकारा.....

में..... पधारें है। पत्रावली उनके समक्ष

दिनांक 27.01.25 को पेश हों।

27/1/25 आज पत्रावली पेश हुई। व कुलाय उपस्थित हैं।  
वकील जी ने वाद पत्र का NOT PROVED खारिज  
करने के कारण खारिज हो चुका है। प्रार्थना  
पत्र में अब कोई आर्घवाही टाँटि नहीं है। प्रार्थना  
पत्र का इसी स्तर पर ड्रॉप खारिज NOT  
PROVED किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक  
क्षेत्र सलगने वाद - पत्र रहे।

सहायक कलेक्टर  
बहरोड़  
(कोटपूतली-बहरोड़)

Not Proved

27/01/25